फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

सरकार बनाम कालूराम वगै0

मुकदमा नं0 :— 223/2024 व 233/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.12.025	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पैरोकार सरकार व अप्रार्थी की बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पापड, पटवार हल्का पापड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 1.66है0 मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजीयात में 125 वर्गमीटर में मोबाईल टावर लगाकर कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ली जा रही है। जिससे कृषि भूमि का स्परूप बिगाड दिया है। अतः खातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत हानिप्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली का दायी व भागीदार है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि को सिवायचक राजकीय सम्पदा घोषित करने के आदेश दिया जावें। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण मे अंकित अप्रार्थीगण की भूमि में मोबाईल का टॉवर लगा हुआ है। जो कि राज्य सरकार के नियम अनुसार मुताबिक ग्राम पंचायत पापड के पत्र क्रमांक /जीपी/पापड/एसपीसल 01 दिनांक 27.11.2025 के ग्राम पंचायत पापड के अकाउण्ट नम्बर में दिनांक 01.01.2018 को डीडी नं0 114296 द्वारा 25000/— रूपये को जमा करवा दिये गये है। जिसके संबंध में कैशबुक की प्रपिलिपि भी पेश है। अतः श्रीमानजी उक्त रशीद को रिकार्ड मे लेकर दावा व टी0आई0 खारिज फरमावें। अतः पैरोकार सरकार व अप्रार्थी की बहस सुनने व मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि पूर्व में राजकोष में जमा करवा दी गई थी। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	

Scanned with OKEN Scanner